

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)

श्रीमती मुन्नाबाई बनाम राजाजी काल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 214/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>मुन्नाबाई</u></p> <p>पिता श्री <u>राजीलाल जी - रत्नी मदनलाल जी काल</u></p> <p>निवासी- <u>अरीशो' का खेडा धाम नहरगढ भेदवा</u> तहसील, व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>गिलुड</u></p> <p><u>खेडा गिलुड, अरीशो' का खेडा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>ग्राम गिलुड के खेडा सं. 740</u> में अर्जित आराजी कीता 8 कुल रकबा 1.3250 हे. ग्राम खेडा गिलुड के खेडा सं. 37 में अर्जित आराजी कीता 2 कुल रकबा 1.0300 हे. तथा ग्राम <u>अरीशो' का खेडा</u> के खेडा सं. 55 में अर्जित आराजी कीता 3 कुल रकबा 0.6900 हे. कुल कीता 8+2+3=13..... कुल रकबा 3.0450 हे0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>गिलुड, खेडा गिलुड, अरीशो' का खेडा (व. नि. सं. 740)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1</u> ग्राम <u>गिलुड</u> के खेडा सं. <u>740</u> में अर्जित आराजी कीता 8 कुल रकबा 1.3250, ग्राम खेडा गिलुड के खेडा सं. <u>37</u> में अर्जित आराजी कीता 2 कुल रकबा 1.0300 हे. तथा ग्राम <u>अरीशो' का खेडा</u> के खेडा सं. <u>55</u> में अर्जित आराजी कीता 3 कुल रकबा 0.6900 हे. कुल कीता 8+2+3=13 रकबा 3.0450 हे0 की बिना किसी कब्जे में देखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000=00</u> रूपये अक्षरे <u>दो हजार</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल) सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>